

तरीमशुदा भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः वाद स्वीकार
जावे।

—निर्णय—

दोनों प्रस्तुत वाद, जवाब दावा, साक्ष्य, राजस्व दस्तावेजात् व सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन
किया व उभय पक्षकारान् बहस व बहस के दौरान दिए गए तर्कों पर मनन किया।
तनकीवार विवेचन इस प्रकार है—

1. आया वादी मौजा आलागण्ड के खसरा संख्या 76/1, मीन रकबा 2 बीघा वावत्
विरुद्ध प्रतिवादीगण के स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाए जाने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

2. आया वादी वाद पत्र के पद संख्या एक में वर्णित दक्षिणी भुजा की तरफ आयी
14X290 फुट एवं वादी की खातेदारी भूमि बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का
अधिकारी है।

जिम्मे वादी

दोनों तनकी परस्पर सम्बन्धित होने से इसका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। दोनों
तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा गोपाराम पुत्र स्व. श्री नरसिंहराम
जी से खसरा नं. 76/1 से 2 बीघा भूमि कय की गई जो प्रदर्श 3 बेचाननामा पत्रावली में
प्रस्तुत है। जरिए नामान्तरण संख्या 1079 वादी का नाम जमाबन्दी में दर्ज किया गया जो
जमाबन्दी प्रदर्श 2 है। वादी द्वारा प्रदर्शित राजस्व नक्शे में 2 बीघा भूमि की तरमीन की हुई
है जो 76/1/1 से नक्शे में अंकित है। बेचाननामा प्रदर्श 3 में दिशाएं गलत लिखी होने
से शुद्धि पत्र प्रदर्श 4 दिनांक 31.01.2004 को निष्पादित कर पंजीबद्ध किया गया। प्रतिवादी
द्वारा उपरोक्त के खण्डन में निवेदन किया गया है कि खातेदार गोपाराम द्वारा खसरा नम्बर
76/1 भूमि से 15 बिस्वा भूमि का बेचाननामा प्रतिवादी संख्या 2 मंगलाराम के पक्ष में
निष्पादित किया। उक्त विकय पत्र अनुसार पडौस इस प्रकार है—उत्तर में घेवरराम का
खेत खसरा नं. 75 की भूमि दक्षिण में खसरा नं. 76/1 की शेष भूमि पूर्व में नाले की भूमि
पश्चिम में मुख्य रास्ता आया हुआ है। जो विकय पत्र 03.09.2003 को निष्पादित कर
पंजीबद्ध किया गया। प्रतिवादी द्वारा तर्क दिया गया है कि शुद्धि पत्र दिनांक 31.01.2004
प्रतिवादी के बेचाननामे के पश्चात् किया गया है जिससे वादी को उक्त वर्णित पडौस की
भूमि पर कोई अधिकार नहीं देता है। न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड व बेचाननामा
दिनांक 20.12.2003 बेचाननामा दिनांक 03.09.2003 व शुद्धि पत्र दिनांक 31.01.2004 का
अवलोकन किया गया। बेचाननामा दिनांक 20.12.2003 से वादी को 2 बीघा भूमि का कय
किया गया जिसमें जो पडौस का विवरण है वो गलत रूप से अंकन किये गये है उसमें 2
बीघा का कोई भी स्पष्ट भाग नहीं बन पाता है। जिससे यह बात स्वीकार योग्य है कि जो
शुद्धि पत्र का निष्पादन किया गया वो पूर्व बेचाननामे में जो गलत दिशाएं वर्णित थी उसी
करने हेतु कि गई जिससे उस शुद्धि पत्र को पूर्व बेचाननामे का ही अंग समझा



(Signature)
साथवात मालावर एवं
उपरोक्त अधिकारी
जोधपुर (दक्षिण)